भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2333

गुरुवार, 13 मार्च, 2025 (22 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कृषि उड़ान योजना के उद्देश्य

2333. श्री मलैयारासन डी.:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उड़ान योजना के उद्देश्य क्या हैं तथा कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ इसकी एकरूपता का ब्यौरा क्या है;

(ख) कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत से लेकर अब तक शामिल उड़ानों और विमानपत्तनों की संख्या कितनी है तथा उक्त योजना के माध्यम से अब तक भेजी गई कृषि उपज की कुल मात्रा कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कृषि उड़ान योजना पर आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा किसानों के लिए उक्त योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शीतागार सुविधाओं, कार्गो संभलाई और हवाई परिवहन की लागत जैसी संभार-तंत्र संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) विशेष रूप से तमिलनाडु और गुजरात के लिए कृषि उड़ान योजना को और अधिक दूरस्थ क्षेत्रों और कृषि केंद्रों तक विस्तारित करने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कार्गो विमानों और यात्री विमानों में अप्रयुक्त कार्गो क्षमता के उपयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) क्या सरकार के पास उक्त योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादों के निर्यात को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से देश के उत्तर-पूर्व, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाली सभी कृषि उपजों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध, हवाई परिवहन और संबंधित लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करना है, ताकि उनकी मूल्य वसूली में सुधार हो सके।

कृषि उड़ान योजना एक समाभिरूप योजना है, जिसके अंतर्गत आठ मंत्रालय/विभाग नामतः नागर विमानन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, कृषि उपज के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाने के लिए

अपनी मौजूदा योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाकर, इस योजना का उद्देश्य भारतीय कृषि को मजबूत करना और किसानों की आय को बढ़ाना है।

(ख) कृषि उड़ान योजना देश के 58 हवाईअड्डों को कवर करती है, जो अन्य क्षेत्रों/इलाकों के 33 हवाईअड्डों के अलावा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र के 25 हवाईअड्डों पर केंद्रित है।

देश में, कृषि उड़ान योजना के तहत सभी खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं। भारत में हैंडल की गई कुल खराब होने वाली वस्तुओं का कुल टनेज (मीट्रिक टन में) में विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	**घरेलू**	**अंतर्राष्ट्रीय**	**कुल**
2021-22	79,275	190,484	269,759
2022-23	85,118	184,086	269,204
2023-24	75,794	218,701	294,494

(ग) कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कोई विशेष बजट आवंटन नहीं है।

(घ) से (छ) हवाई परिवहन द्वारा कृषि-उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने चयनित कृषि उड़ान हवाईअड्डों पर भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री-से-कार्गो) विमानों के लिए लैंडिंग प्रभारों, पार्किंग प्रभारों में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, चयनित भाविप्रा हवाईअड्डों पर मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभारों (आरएनएफसी) और टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग प्रभारों (टीएनएलसी) में छूट दी गई है। वर्तमान में भारत में 35 हवाईअड्डों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है।

कृषि उड़ान एक सतत योजना है और हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

देश में मूलत: 58 कृषि उड़ान हवाईअड्डों से आने वाली शीघ्र खराब होने वाली सभी वस्तुएं, जिनमें बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और प्रसंस्कृत उत्पाद शामिल हैं, विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

******